निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टरएवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प कुँआथल

प्र.सं 35/2016 रे.वाद निर्णय दिनांक 31.05.2018

अनवान

1. श्री मांगु पिता धन्ना सुथार नि. कुंआथल त. देवगढ़
2. श्री शंकर पिता रामा सुथार नि. कुंआथल त.देवगढ़

.........वादीगण

बनाम

1. श्री मांगु पिता नाथू सुथार नि. कुंआथल त.देवगढ़
2. श्री वरदा पिता नाथू सुथार नि. कुंआथल त.देवगढ़
3. श्री गोर्धन पिता नाथू सुथार नि. कुंआथल त.देवगढ़
4. श्री नारू पिता नंगजी सुथार नि. कुंआथल त.देवगढ़
5. श्री सोहन पन्ना लाल पिता कसना सुथार नि. कुंआथल त.देवगढ़
6. श्री केशु लाल दतक पुत्र मोहन लाल सुथार नि. कुंआथल त.देवगढ़
7. श्री प्रताप पिता जयचन्द सुथार नि. कुंआथल त.देवगढ़

.........प्रतिवादीगण

रे.वाद अर्न्तगत धारा 188 राज. ले. रे. एक्ट

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ की ग्राम कुंआथल तह. देवगढ़ जिला राजसमंद में जिसके खसरा सं. 1116 रकबा 0.03 बीघा भूमि होकर उसमें मांगु, वरदा गोरधन पिता नाथू का 1/2 हिस्सा मोहन, सोहन, पन्ना पिता कसना का सम्मिलित रूप से 1/6 हिस्सा तथा मांगू पिता धन्ना का 1/6 हिस्सा एवं केशूशंकर पिता रामा का 1/12 हिस्सा व मोहन के दिवंगत हो जाने से उनके दतक पुत्र केशू का 1/6 हिस्सा हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने पम्प सेट लगाकर उनकी भूमि की सिंचाई करते हैं। वादीगण अपनी आवश्यकता से कुंऐ पर नया पम्प सेट लगवाना चाह रहा हैं। जो कुऐ के उपरी भाग पर पहले से लगाने से प्रतिवादीगण ने झगड़ा कर रूकवा दिया। पूर्व में सारी जमीन इसी कुऐ से सिंचित होती हैं अब प्रतिवादीगण का कहना है कि कुआ हमारी भूमि में बना हुआ है हम सिंचाई नहीं करने देगें तथा प्रतिवादी ने वादी द्वारा लगाये गये पम्प सेट के पाईप वगैराह काटकर फेक दिये जिसकी इतला वादी ने पुलिस थाना दिवेर से दी। वादीगण ने प्रतिवादीगण द्वारा सिंचाई में बाधा डालने से इस वर्ष फसल नहीं बोई है। जिससे वादीगण को काफी आर्थिक नुकसान हुआ हैं। अतः प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण वादीगण को इस हुऐ से सिंचाई करने में कोई बाधा पैदा नहीं करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कुंआथल में नियत किया गया। नियत दिनांक को कैम्प में पक्षकार उपस्थित हुऐ जिन्होंने राजीनाम पत्र पेश कर आपसी राजीनामें के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने बाबत निवेदन किया। वादीगण की पहचान ग्राम सचिव श्री खलील जी ने तथा प्रतिवादीगण की पहचान प.ह. कुंआथल श्री हंसराज ने की। पक्षकारान का राजीनाम स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता हैं कि ग्राम कुंआथल तह. देवगढ़

जिला राजसमंद में जिसके खसरा सं. 1116 रकबा 0.03 बीघा से सिंचाई में वादीगण को किसी प्रकार से बाधा पैदा नहीं करे उनको उनके हिस्सेनुसार कुंऐ से पिलाई करने दी जाये।

प्रतिवादीगण को पाबन्द करने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें। निर्णय आप दिनांक 31.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कुंआथल में मझमे आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद